डी.ओ.सी. काली मिर्च/2002

दिनांक सितम्बर 2002

काली मिर्च का प्रमाणीकरण

0. **प्रस्तावना**

01 वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 7 मार्च, 1988 की अधिसूचना सं 245 (ई), दिनांक 22 अप्रैल, 1991 के एस ओ 1311 के माध्यम से साबुत अथवा पिसी काली मिर्च का अनिवार्य नौ प्रेषण– पूर्व निरीक्षण करने के लिए निर्यात निरीक्षण को प्राधिकृत करता है।

02 आगे, जैसा कि दिनांक 3 मई, 1988 की अधिसूचना एस ओ 466 (ई) में विहित है, संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात के लिए अभिप्रेत साबुत अथवा पिसी काली मिर्च का निरीक्षण अमरीका एफ डी ए के मानकों और आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा और अमरीका को नौप्रेषण हेतु निरीक्षण प्रमाणपत्र केवल निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा जारी किये जाएंगे।

03 जैसा कि अधिसूचनाओं में विहित है, काली मिर्च के संबंध में प्रमाण पत्र की दो प्रणालियों का अनुपालन किया जा रहा है, यानी

i) प्रेषित माल–वार निरीक्षण (सी डब्ल्यू आई) प्रणाली

ii) प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण (आई पी क्यू सी) प्रणाली

1. **निरीक्षण प्रणाली**

11 साबुत या पिसी काली मिर्च का प्रेषित माल–वार निरीक्षण

111 निर्यात हेतु प्रेषित माल की तैयारी

1111 अनुमोदित प्रसंस्करणकर्ता (पैकर) व्यापार में प्रचलित ढंग से निर्यात हेतु प्रेषित माल को तैयार करेगा। इस प्रकार से तैयार प्रेषित माल काली मिर्च ग्रेडिंग और मार्किंग नियम, 1969 तथा उसके पश्चात – उसमें हुए संशोधनों यदि कोई हो, के अधीन प्रत्येक ग्रेड के संदर्भ में विहित न्यूनतम गुणवत्ता के अध्यधीन विदेशी क्रेता तथा आयातित देश के खाद्य कानूनों की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

1112 साबुत अथवा पिसी काली मिर्च को धातु, कांच, जूट, कपड़े, कागज या पॉलिथिन से बने नए स्वच्छ तथा शुष्क कंटेनरों में पैक किया जाएगा। यह माल किसी भी प्रकार के कीट तथा कवक संक्रमण, चूहे

या अन्य जानवर के संक्रमण से मुक्त तथा किसी भी प्रकार की अवांछनीय बदबू से मुक्त होना चाहिए। पैकेज सुरक्षित ढंग से बंद तथा सील युक्त होने चाहिए।

1113 पैकेजों या उन पर लगाए गए लेबलों पर यथोचित रूप से निम्नालिखित सूचना चिन्हित की जाएगी–

क प्रसंस्करणकर्ता का कोड;

ख निर्यातक का कोड;

ग साबुत अथवा पिसी काली मिर्च का ग्रेड;

घ विक्रय वस्तु की पहचान संख्या;

ड शुद्ध वजन;

च पैकिंग की तिथि;

छ नौवहन चिन्ह; और

ज भारत का उत्पाद।

1114 निर्यात हेतु साबुत अथवा पिसी काली मिर्च की तैयारी भंडारण के लिए संस्वीकृत तथा प्रयुक्त परिसर को अस्वच्छ परिस्थितियों तथा पक्षियों, चूहों और कीटों के ग्रसन से मुक्त रखा जाएगा और प्रसंस्करण कार्य में लगे कार्मिक स्वच्छता संबंधी आवश्यक मानकों को बनाए रखेंगे। इनकी न्यूनतम आवश्यकताएं **उपबंध – I** में बताई गई हैं।

1115 प्रत्येक प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातक तथा वाणिज्यक निर्यातक को संख्यात्मक कोड आंवटित किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ निम्नालिखित कोड संख्या के ब्लॉकों का प्रयोग किया जाएगा।

कोचीन	101	से	200
और	500	से	700
एल्लिप्पी	201	से	225
कालीकट	226	से	250
मंगलौर	251	से	275
अन्य केन्द्र	276	से	300
ई आई ए – मद्रास	301	से	350
ई आई ए मुंबई	401	से	450
ई आई ए – दिल्ली	701	से	750

1116 संबद्ध अभिकरण/ कार्यालय ई आई सी – कोचीन के मुख्यालय, जहां केन्द्रीकृत संख्यात्मक कोड रजिस्टर रखा जाएगा, को सूचना देकर ऊपर निर्दिष्ट ब्लॉकों के लिए संख्यात्मक कोड आंवटित करेगा।

1117 वाणिज्यिक निर्यातक द्वारा प्रसंस्करणकर्ता के माध्यम से पैक किए गए मामल को प्राप्त करने की दशा में ऐसी प्रेषित माल के पैकेजो पर निर्यात का संख्यात्मक कोड तथा प्रसंस्करणकर्ता का संख्यात्मक कोड दोनों चिन्हित किए जाएंगे।

112 निरीक्षण की सूचना

1121 साबुत अथवा पिसी काली मिर्च का निर्यात करने वाले "प्रसंस्करणकर्ता" (पैकर)/निर्यातक संस्वीकृत इकाई (परिसर) में पैक करेगा तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरण के समीपस्थ कार्यालय को **अनुबंध 1** में दिए गए प्रपत्र (प्रोफार्मा) क अनुसार निरीक्षण की सूचना देगा।

1122 निरीक्षण की प्रत्येक सूचना निम्न प्रकार से दी जाएगी·

क) यदि परिसर ऐसे स्टेशन पर स्थित है जहां निर्यात प्रसंस्करण अभिकरण का कार्यालय है तो वहां निरीक्षण करने के लिए साबुत काली मिर्च के लिए कम से कम 6 दिन और पिसी काली मिर्च के लिए कम से कम 7 दिन पहले सूचना देनी होगी।

ख) यदि निरीक्षण किसी ऐसे परिसर में किया जाना है जो निर्यात प्रसंस्करण अभिकरण के कार्यालय से अन्यत्र किसी स्थान पर अवस्थित है तो साबुत काली मिर्च के कम से कम 7 दिन और पिसी काली मिर्च के लिए कम से कम 8 दिन सूचना दी जाएगी।

113 निरीक्षण स्थल

1131 निर्यात प्रसंस्करण अभिकरण द्वारा संस्वीकृत परिसर पर निरीक्षण किया जाएगा।

1132 निरीक्षण हेतु प्रेषित माल को आच्छादित स्थान/गोदाम में पेश किया जाएगा।

1133 प्रति चयन, सीलबंदी और स्टेंसिल काटने के लिए ऐसी अवस्था करने तथा निरीक्षण हेतु यथा अपेक्षित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रसंस्करणकर्ता की होगी।

1134 ऊपर 31 में उल्लिखित परिसरों के निरीक्षण के अतिरिक्त, अभिकरण को भंडारण के किसी स्थान में निरीक्षण प्रेषित माल का परिवहन में या वास्तविक रूप से नौप्रेषण से पूर्व ऐसा पर्यवेक्षण करने का अधिकार होगा कि उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया या निरीक्षण के बाद उसकी गुणवत्ता में कमी न की गई हो ।

114 निरीक्षण का आधार

1141 निर्यात हेतु अभिप्रेत साबुत अथवा पिसी काली मिर्च का निरीक्षण इस बात को सुनिश्चित करने के मद्दे नजर किया जाएगा कि यह काली मिर्च ग्रेडिंग और मार्किंग नियम, 1969 के अनुसार तथा किसी अन्य संविदाकारी आवश्यकताओं अथवा आयातित देश के खाद्य कानूनों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

1142 संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात हेतु अभिप्रेत प्रेषित माल के मामले में निरीक्षण इस बात को भी सुनिश्चित कराएगा कि प्रेषित माल यू एस एफ डी ए के निम्नालिखित प्रत्यक्ष कार्यवाही स्तरों को संतुष्ट करता है।

i)	काली मिर्च में कीट गंदगी तथा फंफूदी	–	भार में एक प्रतिशत या अधिक
ii)	काली मिर्च में उत्सेद पदार्थ	–	प्रति पाउन्ड एक मि ग्रा या अधिक
iii)	काली मिर्च में बाहरी पदार्थ	–	भार में एक प्रतिशत या अधिक
iv)	पिसी काली मिर्च में कीट गंदगी	–	प्रति 50 ग्रा में 475 या अधिक कीट अवशेष
v)	पिसी काली मिर्च में कृन्तक गंदगी	–	प्रति 50 ग्रा में 2 या अधिक कृन्तक बाल अवशेष
vi)	साल्मोनेला	–	निषेध

115 निरीक्षण की प्रक्रिया

1151 प्रसंस्करणकर्ता इस बात को सुनिश्चित कराएगा कि प्रत्येक पैकेज पर ई आई सी लेबल यथोचित रूप से लगाया गया है।

1152 निरीक्षण की सूचना प्राप्त होने पर निर्यात निरीक्षण अभिकरण प्रषित माल की जांच करेगा। ऐसी जांच के उद्देश्य से निरीक्षण हेतु पेश किए गए प्रत्येक समूह में से नमूने लिए जाएंगे।

1152 इस संदर्भ में समूह का अभिप्राय सूचना के तहत निरीक्षण हेतु पेश किए गए समान किस्म तथा ग्रेड वाले कुल पैकेजों से हैं। यदि सूचना के तहत किसी विशेष किस्म या कोटि के पैकेजों की संख्या 400 से अधिक होती है तो नमूने के प्रयोजनार्थ इन्हें ऐसे समूहों में बांटा जाना चाहिए जिनमें 400 पैकेजों से अधिक न हों।

1153 यदि वस्तुगत जांच पर प्रेषित माल निर्यातक द्वारा की गई घोषण के अनुरूप नही है तो प्रेषित माल अस्वीकृत हो जाएगा और अस्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के लिए निर्यातक द्वारा शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

1154 नमूने लेने के लिए अभिकरण अधिकारी नीचे दिए गए मापक्रम के अनुसार पैकेजों का चयन करेगा:–

समूह में पैकेजों की संख्या	नमूने हेतु लिए जाने वाले पैकेजों वाले पैकेजों की संख्या
1 से 5	सभी पैकेज
5 से अधिक	निकटस्थ पूर्ण संख्या की दिशा में पैकेजों की संख्या का वर्गमूल जो कम से कम 5 हो।

1155 संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात हेतु अभिप्रेत उपभोक्ता पैक प्रेषित माल के मामले में निम्नलिखित नमूना प्रतिचयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चुने जाने वाले मुख्य पैकेजों की संख्या समूह में कुल मुख्य पैकेजों का वर्ग मूल होगी। मुख्य पैकेजों में से चुने जाने वाले आरम्भिक पैकेज प्रत्येक मुख्य पैकेज में कम से कम एक होगा और आरम्भिक पैकेजों की संख्या में इस प्रकार वृद्धि की जाएगी कि साबुत काली मिर्च के मामले में विश्लेषण हेतु निकाले गए नमूनों की मात्रा 454 ग्राम के प्रत्येक 10 उप – नमूनों और पिसी काली मिर्च के मामले में 200 ग्राम प्रत्येक 10 उप – नमूनों से कम नहीं होगी।

1156 अन्य स्थानों के लिए अभिप्रेत प्रेषित माल के लिए चयनित आरम्भिक पैकेजों की संख्या प्रत्येक ुक्ष्य पैकेज में से कम से कम एक होगी और आरम्भिक पैकेजों की संख्या इस प्रकार बढाई जाएगी कि पिसी हुई काली मिर्च के मामले में विश्लेषण हेतु निकाले गए नमूनों की मात्रा 500 ग्राम से कम नहीं होगी।

1157 यदि नमूने निरीक्षण के बाद वस्तु–समूह आवश्कताओं के अनुरुप नहीं होता तो समूह को नामंजूर कर दिया जाएगा और कंटेनर पर लगे लेबलों तथा सील को हटा दिया जाएगा ताकि वस्तु समूह का पुनः प्रसंस्करण किया जा सके और निर्यात निरीक्षण अभिकरण विहित प्रोफार्मा (**अनुबंध – II**) में अस्वीकृति पत्र जारी करेगा।

1158 यदि प्रसंस्करणकर्ता अस्वीकृति के निर्णय से सहमत नहीं होता है, यदि वह वस्तु–समूह की पुनः जांच के लिए आवेदन करना चाहता है तो पहले निरीक्षण के लिए विहित नमूनों जितनी संख्या को निकालकर पुनः जांच की जाएगी। पुनः जांच के प्रयोजनार्थ पैकेजों के चयन और नमूनों को निकालने की प्रक्रिया नही होगी जैसी पहली जांच के लिए विनिर्दिष्ट है। यदि प्रथम निरीक्षण के दौरान कीट संक्रमण पाया जाता है तो वस्तु–समूह को कीटाणु–रहित करने के बाद ही पुनः जांच की जाएगी।

वस्तु–समूह के लिए केवल एक बार पुन: जांच की अनुमति होगी। कीट (2 नम्बर तक) की मौजूदगी में ही पुन: जांच की अनुमति होगी।

1159 संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात हेतु अभिप्रेत वस्तु समूह के मामले में किसी प्रकार की पुन: जांच की अनुमति नहीं है।

116 प्रयोगशाला में नमूनों की जांच

1161 प्रयोगशाला में प्राप्त साबुत अथवा पिसी काली मिर्च के नमूनों की, अत्यावश्यकता सहित विशेष परिस्थितियों को छोडकर उनकी प्राप्ति के क्रम के अनुसार सख्ती से सभी सम्बद्ध विशेषताओं को दिशा में जांच की जाएगी।

117 निरीक्षण का प्रमाणपत्र

1171 निर्यात निरीक्षण अभिकरण प्रेषित माल का विधिवत रूप से स्वीकृत होने, सीलबंद होने और या तो स्टेन्सिल या लेबल लगने के बाद निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

1172 संयुक्त राज्य अमरीका को प्रेषित माल के प्रमाणपत्र में निर्यातक का संख्यात्मक कोड, वस्तु समूह पहचान संख्या तथा निरीक्षण क्रियाविधि और परिणाम उल्लिखित किए जाएंगे।

1173 जारी किया गया यह प्रमाणपत्र वस्तु समूह की पैकिंग की तिथि से 45 दिनों की अवधि तक वैध होगा।

1174 यदि कतिपय अपूर्व चिन्तित परिस्थितियों जैसे जहाज मिलने कार्गो उतारने में विलम्ब आदि के कारण प्रेषित माल की वैधता अवधि के भीतर नहीं भेजा जाता है, जैसा कि ऊपर पैरा 74 में उल्लिखित है, तो यदि अभिकरण दिए गए कारणों से संतुष्ट हो जाता है तो अधिकतम दस दिनों की मोहलत वैधीकरण की अनुमति दी जा सकती है। मोहलत की ऐसी अवधि का वैधीकरण अभिकरण के स्वनिर्णय के अनुसार दिया जाएगा और निर्यातक नियमित आधार पर इस संबंध में दावा नहीं कर सकता।

1175 यदि निरीक्षण प्रमाणपत्र में शामिल माल को अवधि 7 समाप्ति की तिथि के भीतर जहाज द्वारा नहीं भेजा जाता तो प्रेषित माल के लिए नए सिरे से प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व आवश्यक निरीक्षण शुल्क ले कर पुन: निरीक्षण किया जाएगा।

118 निरीक्षण शुल्क

1181 प्रत्येक प्रेषित माल के लिए कम से कम 50/– रू प्रेषित माल के एफ ओ बी मूल्य के 04 प्रतिशत और 02 प्रतिशत की दर पर अभिकरण को क्रमश: प्रेषित माल–वार निरीक्षण तथा प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण के रूप में अदा किया जाएगा।

टिप्पणी:– निर्यातक द्वारा भुगतान योग्य प्रत्येक प्रेषित माल हेतु निरीक्षण शुल्क की राशि को निकटस्थ रू में पूर्णांक बना दिया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ यदि किसी मामले में यह राशि रूपयें का हिस्सा है और यदि यह

पचास पैसे या अधिक है तो इसे एक रूपया कर दिया जाएगा और यदि यह हिस्सा पचास पैसे से कम है तो उसे छोड दिया जाएगा।

1182 निर्यातक यदि चाहें तो निरीक्षण शुल्क के भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से जमा खता खेल सकते हैं।

119 अपील

निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से मना ए जाने पर कोई प्रभावित निर्यातक ऐसी अस्वीकृति के मिलने के दस दिनों के भीतर ऐसी अपील कर सकेगी जिसे अभिकरण द्वारा विशेषज्ञों के ऐसे पैनल को सौंपा जाएगा जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किए गए कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक 7 व्यक्ति शामिल होंगे। अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर निपटाई जाएगी। इस संबंध में पैनल का निर्णय अंतिम होगा।

1.2 काली मिर्च के लिए प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण योजना

1.21 सामान्य

प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण योजना (आई पी क्यू सी) के अंतर्गत दोषरहित उत्पाद का उतदन करने के लिए सभी विनिर्दिष्ट सुविधाओं वाली इकाईयों को ही निर्यात हेतु काली मिर्च का उनके अपने पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत प्रसंस्करण तथा पैकिंग की अनुमति होगी। तदनुसार सम्पूर्ण प्रसंस्करण प्रक्रिया के पूर्ण नियंत्रण का उपयोग करते हुए उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रसंस्करणकर्ता की होगी और निर्यात निरीक्षण अभिकरण (ई आई ए) के प्रमुख कर्त्तव्य यह सुनिश्चित कराने के लिए होगे कि संस्वीकृत इकाइयों द्वारा ऐसी निगरानी प्रणाली के माध्यम से अनुमोदित इकाइयां अनुमोदन संबंधी मानदंडों का अनुपालन कर रही हैं जिनमें निर्धारित बारम्बारता के अनुसार प्रेषित माल के संबंध में निगरानी संबंधी दौरे और स्थल पर जांच आदि शामिल होंगे। इस प्रणाली में मानदण्डों के अनुसार अनुमोदित काली मिर्च के प्रसंस्करणकर्ता/पैकर निर्यात निरीक्षण अभिकरण को सूचना देकर औपचारिक निवेदन पर निर्यात हेतु निरीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसे प्रसंस्करण कर्ता/पैकर के प्रेषित माल का ई आई ए ब्यौरा प्रमाणपत्र से पूर्व निरीक्षण और विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

122 स्वीकृति हेतु मानदण्ड

1221 आस पास का स्थान तथा निर्माण

क) प्रसंस्करणकर्ता के वस्तुगत नियंत्रण के तहत इकाई के आस–पास के स्थान कुछ इस प्रकार के होंगे जिनसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पेश न आती हो।

ख) भवन के शेड का संतोषजनक ढंग से रख रखाव किया गया हो।

ग) कार्य करने के कक्ष अच्छी स्थिति में रखे जाए।

1222 कच्चे माल का नियंत्रण

क) प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा कच्चे माल के संबंध में विस्तार से निर्देश निर्धारित किए जाएंगे।

ख) माल की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से निर्धारित निर्देशों के साथ तुलना करके माल का निरीक्षण एवं विश्लेषण किया जाएगा। कच्चे माल को वास्तविक रूप से भरते समय नियमित अंतराल पर नमूने लिए जाएंगे और उनका विश्लेषण किया जाएगा। नमूने द्वारा तिथि, किस्म और गुणवत्ता सूचित करते हुए परिणामों को सारणीबद्ध किया जाएगा।

ऐसा निरीक्षण और विश्लेषण निर्धारित प्रतिचयन योजना और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा।

ग) स्वीकृत/अस्वीकृत वस्तु माल को अलग–अलग करने में नियमानुसार प्रणाली अपनाई जाएगी ताकि मिली– जुली चीजों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकें।

1223 प्रक्रिया नियंत्रण

क) प्रसंस्करण की विभिन्न अवस्थाओं के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्देश निर्धारित किए जाएंगे।

ख) प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों के दौरान पर्याप्त प्रक्रियाधीन निरीक्षण किया जाएगा।

1224 उत्पाद नियंत्रण

क) इस प्रकार प्राप्त उत्पाद निर्धारित निर्देशों के अनुरूप होगा। उत्पाद की गुणवत्ता तथा अधिसूचित निर्देशों के अनुसार इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए संसाधित उत्पाद का अन्तिम निरीक्षण और विश्लेषण किया जाएगा।

ख) ऐसा निरीक्षण तथा विश्लेषण निर्धारित प्रतिचयन योजना के आधार पर किया जाएगा।

1225 नाप तौल नियंत्रण

क) प्रयोगशाला उपकरण जैसे नमी संबंधी मीटर, तराजू इत्यादि का व्यास मापन किया जाएगा;

ख) छाननी (सीव) तथा अन्य उपकरणों आदि की समय समय पर जांच की जानी चाहिए;

ग) ऐसे व्यास मापन तथा जांच की बारम्बारता निर्धारित की जानी चाहिए।

1226 आई पी क्यू सी प्रणाली के तहत काली मिर्च की इकाइ की स्वीकृति संबंधी आवश्यक बातें

अभिकरण द्वारा केवल स्वीकृत इकाई ही निर्यात हेतु काली मिर्च का प्रसंस्करण तथा पैकिंग कर सकेंगी। इस प्रयोजनार्थ इकाई को नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं पूरी करनी होगी–

क) प्रसंस्करण इकाई में ई आई ए द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल द्वारा विधिवत स्वीकृत एक सक्षम तथा योग्य तकनीकज्ञ होगा जो निर्यात के लिए अभिप्रेत काली मिर्च के प्रसंस्करण कार्य का पर्यवेक्षण करेगा, निरीक्षण करेगा तथा जांच करेगा। ऐसे कार्मिकों की निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए–

– विज्ञान या कृषि में डिग्री

– उपयुक्त प्रशिक्षण लियेा हो या काली मिर्च के गुणवत्ता नियंत्रण में आवश्यक अनुभव रखता हो।

ख) इकाई के पास निर्यात हेतु काली मिर्च की जांच करने के लिए सभी आवश्यक जांच उपकरण और रासायनिक पदार्थ अपनी प्रयोगशाला में होने चाहिए।

ग) इकाई को विभिन्न चरणो जैसे कच्चे माल की स्वीकृति, प्रसंस्करण, पैकिंग, संरक्षण और भंडारण के संबंध में वास्तविक नियंत्रण हेतु दिशा निर्देशों को गुणवत्ता नियंत्रण पुस्तिका के रूप में निर्धारित करना होगा।

घ) प्रसंस्करण इकाई प्रक्रियाधीन नियंत्रण, निर्यात हेतु वस्तु समूह की स्वीकृति, ई आई ए से प्राप्त प्रमाणपत्रों का ब्यौरा तथा वास्तविक निर्यात के विवरण आदि का पर्याप्त रिकॉर्ड रखेगी।

स्वीकृति के लिए योग्य बनने के लिए इकाई को परिशिष्ट – I में सूचीबद्ध आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

1.2.3 स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया

1.2.3.1 आई पी क्यू सी के अंतर्गत स्वीकृति चाहने वाली इकाई निर्दिष्ट **अनुबंध IV** में अभिकरण के समीपस्थ कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में इकाई स्थित है, को शुल्क के साथ दोहरी प्रति के रूप में आवेदन करेगी।

1.2.3.2 आवेदन प्राप्त होने पर अभिकरण दो एजेंसी अधिकारियों के दल के रूप में प्रदत्त प्रसंस्करण सुविधाओं की पूर्व लेखा परीक्षा कराएगा। यदि उसमें कोई कमियां पाई जाएं तो उन्हें दूर करने के लिए अभिकरण द्वारा प्रसंस्करणकर्ता को बता दिया जाएगा तथा ईआईए द्वारा उनकी जांच की जाएगी।

1.2.3.3 संतोषजनक पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अध्यधीन प्रसंस्करण इकाई का मूल्यांकन विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल द्वारा कराया जाएगा।

1.2.3.4 यह पैनल ईआईए मूल्यांकन रिपोर्ट पर यथोचित विचार विमर्श तथा इकाई का दौरा करने के बाद अपनी सिफारिशें देगा।

1.2.3.5 आई डी पी की संतोषजनक मूल्यांकन रिपोर्ट तथा अभिकरण के प्रभारी के अनुमोदन के आधार पर ईआईए प्रसंस्करणकर्ता को सात दिनों के अंदर स्वीकृति के विषय में बता देगा।

1236 यदि मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक है या उसमें प्रसंस्करणकर्ता द्वारा कतिपय सुधारात्मक कार्य किए जाने आवश्यक हैं तो इनकी जानकारी प्रसंस्करणकर्ता को सात दिनों के भीतर दे दी जाएगी।

1237 यदि प्रसंस्करणकर्ता अभिकरण को सूचना की तिथि से तीन महीने की अवधि में यह बताता है कि उसे बताई गई कमियों को दूर कर दिया गया है तो उसका एजेन्सी अधिकारियों के दल द्वारा पुर्नमूल्यांकन किया जाएगा और यदि सब चीजें दोष रहित पायी जाती हैं तो स्वीकृति दे दी जाएगी अन्यथा प्रसंस्करण इकाई को नया आवेदन देना होगा।

124 प्रसंस्करण इकाई के दायित्व

1241 आई पी क्यू सी योजना के तहत उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संम्पूर्ण प्रसंस्करण कार्यो की जिम्मेदारी प्रसंस्करणकर्ता की होगी। प्रसंस्करणकर्ता के दायित्व नीचे बताये गये हैं:

i) इकाई के अनुभवी कार्मिकों के पर्यवेक्षण के तहत स्वच्छ स्थितियों में प्रसंस्करण कार्य करना

ii) जांच के उद्देश्य से प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों पर तथा तैयार माल में से नमूने लेना। जांच के उद्देश्य से आई पी क्यू सी प्रमाणन के तहत पेश किये गये प्रत्येक वस्तु समूह में से नमूने लिये जाएगें। इस संदर्भ में वस्तु समूह का तात्पर्य आई पी क्यू सी प्रमाण पत्र के तहत निरीक्षण हेतु पेश की गई वस्तुओं की एक समान किस्म तथा कोटि के कुल थैलों से है।

iii) परीक्षित नमूनों के परिणामों का मूल्याांकन करना तथा इन नमूनों के विनिर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार अनुरूपता पर निर्णय लेना और जहां कहीं आवश्यकता हो, वहां उपचारात्मक कार्यवाही करना ;

iv) निरीक्षण का मूल्यांकन करना तथा विनिर्दिष्ट निर्देशों के साथ उनकी अनुरूपता का निर्णय करने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण परिणामों का मूल्याांकन करना।

v) इस बात का निर्णय करना कि क्या संसाधित और पैक की गई काली मिर्च का समूह नियमानुसार किये गये निरीक्षण के आधार पर निर्यात योग्य हैं या नहीं;

vi) परिषद द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों को कार्यान्वित करना।

1242 यदि किसी समय किसी कारण से उत्पाद को निर्देशों के अनुरूप बनाये रखने में कोई कठिनाई है तो अभिकरण को सूचना देकर निर्यात के लिए उत्पादन को स्थगित कर दिया जाएगा।

1243 सुधारात्मक कार्यवाही पूरी होने पर इकाई अभिकरण को सूचना देकर निर्यात के लिए उत्पादन आरम्भ कर सकती है।

1244 निर्यात के लिए भेजे गये माल का प्रसंस्करण तभी आरम्भ होगा जब अभिकरण द्वारा उसकी लिखित स्वीकृति प्राप्त होगी।

1.2.4.5 जब भी कभी आवश्यकता पायी जायेगी तब अभिकरण अधिकारी प्रसंस्करण कार्यो की जांच कर सकेंगे।

1.2.4.6 प्रसंस्करण इकाई आई पी क्यू सी प्रमाणन के अर्न्तगत 'सभी निर्यातों' को शामिल करेगा।

1.2.5 स्वीकृत इकाईयों की निगरानी

1.2.5.1 प्राधिकृत ई आई ए अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर इकाइयों का का दौरा करेंगे कि इकाइ न्यूनतम सुविधाएं तथा विनिर्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण ड्रिल को बरकरार रख रही है तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार निरीक्षण तथा जांच करा रही है।

1.2.5.2 ऐसे दौरों के दौरान अधिकारी ई आई ए की प्रयोगशाला में जांच करा रही है।

1.2.5.3 अधिकारी इकाइयों में अपनी यात्राओं के दौरान इकाई में रखे गए विभिन्न रजिस्टरों की जांच करेंगे तथा तारीख सहित उन पर प्रति हस्ताक्षर करेंगे।

1.2.5.4 अधिकारी अपनी भाषाओं के दौरान इकाइ में रखे गए इस प्रयोजनार्थ रजिस्टर में अपनी टिप्पणियां दर्ज करेंगे तथा उन पर तारीख सहित विधिवत् हस्ताक्षर करेंगे।

1.2.5.5 यदि समय समय पर किए जाने वाले दौरों के दौरान कोई विसंगति पाई जाती है तो उन विसंगतियों को दूर करने के बारे में प्रसंस्करणकर्ता को एक सप्ताह के भीतर बताा दिया जाएगा। यदि प्रसंस्करणकर्ता से प्राप्त संशोधित/सुधारात्मक कार्यवाही संतोषजनक नहीं है तो अभिकरण अनुवर्ती कार्यवाही करेगा तथा इस मामले को विशेषज्ञों के पैनल को भी सौंपा सकता है।

1.2.6 दौरे की असंतोषजनक रिपोर्टो और/अथवा जांच रिपोर्टो के संबंध में दिशा निर्देश

1.2.6.1 प्रसंस्करण के प्रतिष्ठान में किसी भी दौरे के दौरान पाई गई कमियों, जिनमें जांच किए गए नमूनों की विफलता भी शामिल है, को ई आई ए के अधिकारी तथा प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित (सी ए आर) के माध्यम से प्रसंस्करण को बताया जाएगा।

1.2.6.2 छोटी कमियों के मामले में अधिकरी द्वारा अगले दौरे के दौरान सुधारात्मक कार्यवाही क जांच की जाएगी।

1.2.6.3 बडी कमियों की दशा में, त्रुटियों की गंभीरता के आधार पर निम्नलिखत एक अथवा अधिक कार्यवाहियां की जा सकती हैं:--

i) प्रसंस्करणकर्ता को संशोधन के लिए समय सीमा सहित स्पष्टीकरण दिया जा सकता है।

ii) जब तक संशोधन नहीं किया जाता और जब तक ई एस आई द्वारा उसका दौरा करने पर संतोषजनक ढग से जांच नहीं कर ली जाती तथा तीन लगातार प्रेषित माल के संतोषजनक जांच परिणाम नहीं मिल जाते तब तक प्रसंस्करणकर्ता को 'स्पॉट चैक' के अर्न्तगत रखा जा सकता है।

iii) जब तक संशोधन नहीं किया जाता तथा दौरे द्वारा उसकी जांच नहीं हो जाती तब तक प्रसंस्करणकर्ता को उत्पादन तथा निर्यात स्थगित करने की सलाह दी जा सकती है।

1264 यदि प्रयोशाला प्रतिवेदन भी प्रमुख आवश्यकताओं की विफलता दिखाते हैं तो यही कार्यवाहियां की जा सकती हैं।

127 स्वीकृति पुन: प्रदान करना

1271 स्वीकृत इकाइयों से सम्बद्ध ई आई ए के प्रभारी को पूर्ववर्ती स्वीकृति समाप्त होने से कम से कम 60 दिन पहले विनिर्दिष्ट प्रपत्र में दुबारा स्वीकृति के लिए आवेदन कर सकती हैं।

1272 आई डी पी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तथा इकाइयों की निगरानी के दौरान निष्पादन की समीक्षा, प्रयोगशाला रिपोर्टों और मान्यता अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्वीकृति दुबारा प्रदान की जा सकती है।

128 स्वीकृति समाप्त किया जाना

1281 इकाई की स्वीकृति को न्यूनतम पन्द्रह दिनों की अवधि की सूचना देने के बाद निम्नलिखित कारणों से समाप्त किया जा सकता है:

1 यदि उपकरण तथा मशीनें चालू हालत में नहीं हैं।

2 यदि इकाई की सफाई तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति संतोषजनक नहीं है।

3 यदि प्रसंस्करणकर्ता ने नियमों तथा निर्देशों के प्रावधानों का उल्लघन किया हो या जानबूझकर उल्लघंन करने का प्रयास किया हो।

1282 स्वीकृति वापस लेने की ऐसी सूचना प्रसंस्करण कर्ता को लिखित रूप में दे दी जायेगी।

1283 ऐसी इकाई, जिसकी स्वीकृति वापस ले ली गई है, दोषों को दूर करके स्वीकृति समाप्ति की तिथि से तीन महीने पूरे होने के बाद नयी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अभिकरण को नये सिरे से आवेदन कर सकती है।

1284 यदि किसी भी समय प्रसंस्करण कर्ता आई पी क्यू सी प्रणाली के अर्न्तगत न्यूनतम आवश्यकताओं को बरकरार रखने में असमर्थ रहता है तो वह अभिकरण को सूचना देकर आई पी क्यू सी प्रणाली के तहत प्रसंस्करण तथा निर्यात को स्थगित रख सकता है।निर्यात हेतु प्रसंस्करण पुन: आरम्भ करने की अनुमति तभी दी जायेगी जब अभिकरण से लिखित में स्वीकृति ले ली गई हो।

129 प्रसंस्करण

1291 इकाई में पहुंचने वाले कच्चे माल के प्रत्येक समूह का इकाई के शिल्प विज्ञानी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

1292 प्रत्येक दिवस के उत्पादन का संसाधित तथा वर्गीकृत माल का शिल्प विज्ञानी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

1293 समूचे प्रसंस्करण कार्य की सारी निगरानी और नियंत्रण शिल्प विज्ञानी द्वारा किया जायेगा। प्रक्रिया के दौरान यथा निर्धारित नियंत्रण की निगरानी के लिए शिल्प विज्ञानी द्वारा एक रजिस्टर भी रखा जाएगा

1294 उत्पादन के प्रत्येक समूह में से नमूने लिए जाएंगें तथा उनकी प्रयोगशाला में जांच की जाएगी।

1295 शिल्प विज्ञानी द्वारा नाम, तिथि तथा विश्लेशण पूरा होने के समय सहित विश्लेषणात्मक परिणाम दर्ज किये जायेगें तथा उस पर उसके हस्ताक्षर होगें।

1210 वस्तु समूह को स्वीकर करने और नामंजूर करने के सम्बद्व में मानदण्ड

12101 निर्यात हेतु अभिप्रेत साबून अथवा किसी काली मिर्च का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि ये काली मिर्च ग्रेडिंग और मार्किंग नियम 1969 तथा अन्य संविदाकारी आवश्यकताओं या आयातित देश के खद्या कानूनों की आवश्यकताओं के अनुसार घोषित ग्रेड नामक के अनुरूप हैं।

12102 संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात हेतु अभिप्रेत प्रेषित माल के मामले में निरीक्षण इस बात को भी सुनिश्चि कराएगा कि प्रेषित माल यू एस एफ डी ए के निम्नलिखित प्रत्यक्ष कार्यवाही स्तर (जी ए एल) को संतुष्ट करता हैं:-

1)	कीट गंदगी तथा फंफूदी	भार में एक प्रतिशत या अधिक
2)	काली मिर्च में मैमिलियन बीठ	प्रति पाउण्ड एक मिग्रा या अधिक
3)	काली मिर्च में बाहरी वस्तु	भार में एक प्रतिशत या अधिक
4)	पिसी काली मिर्च में कीट गंदगी	प्रति 50 ग्रा में 475 अथवा अधिक कीट खंड
5)	पिसी काली मिर्च में चूहें की गंदगी	प्रति 50 ग्रा में चूहे के दो या अधिक बालों के टूकडे
6)	साल्मोनैला	निषेध

1211 निर्यात हेतु निरीक्षण का प्रमाण पत्र

12111 काली मिर्च का निर्यात करने का इच्छुक प्रसंस्करणकर्ता **अनुबंध V** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में दो प्रतियों सहित सूचना देगा तथा इसके साथ पैकिंग रजिस्टर के प्रमाणित अंशों को भी लगाएगा **अनुबंध VI** ।

12112 सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण अपने आप को इस बात से संतुष्ट करने के बाद कि प्रेषित माल इस पर लागू मानक विनिर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार और आयातक/आयातित देश द्वारा यदि कोई अन्य अतिरिक्त विनिर्देश नियत किए गए हो तो इनके अनुसार संसाधित, पैक, निरीक्षित और स्वीकार किया गया है तो वह निर्यात के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगा। ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व अभिकरण कार्यालय विनिर्दिष्ट शुल्क वसूल कर लेने को सुनिश्चित करेगा।

1.2.11.3 निर्यात निरीक्षण अभिकरण प्रेषित माल समूह के विधिवत रूप से स्वीकार होने, सीलबंद होने और स्टेन्सिल्ड या लेबल लगाये जाने के बाद मानक प्रपत्र (प्रोफार्मा) में निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करेगा। संयुक्त राज्य अमरीका को प्रेषित माल के लिए प्रमाण पत्र में निर्यातक का संख्यात्मक कोड, वस्तु समूह पहचान सं और विश्लेषण क्रिया विधि तथा परिणाम उल्लिखित किए जाएगे। संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात हेतु अभिप्रेत प्रत्येक वस्तु समूह के लिए **अनुबंध – III** में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार पृथक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा तथा फिर निर्यातक मूल प्रमाणपत्र को अमरीका के एफ डी ए प्राधिकारियों के पास भेजेगा। ऐसे प्रमाणपत्र वस्तु समूह की पैकिंग की तिथि से 45 दिनों की अवधि के लिए वैध होंगे। कतिपय अपूर्व चिन्तित परिस्थितियों, जैसे जहाज में विलम्ब, जहाज से समान उतारना तथा चढाना आदि के कारण यदि प्रेषित माल वैधता अवधि के भीतर नहीं भेजा जा सका तो, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, यदि अभिकरण कारणो से संतुष्ट है तो अधिकतम 10 दिनों की पुनर्वैधता अवधि की मोहलत दी जा सकती है। ऐसी मोहलत अभिकरण के स्वनिर्णय पर दी जा सकती है और निर्यातक द्वारा नियमित आधार पर ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। यदि निरीक्षण प्रमाणपत्र के अंतर्गत शामिल माल को समयावधि समाप्त होने की तिथि के भीतर नही भेजा जाता तो नया प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व आवश्यक निरीक्षण शुल्क लेने के बाद प्रेषित माल का फिर से निरीक्षण किया जाएगा।

1.2.12 स्वीकृत आई पी क्यू सी इकाइयों की समीक्षा

1.2.12.1 आई पी क्यू सी के कार्यो का वर्ष में कम से कम एक बार अंतरविभागीय विशेषज्ञ पैनल द्वारा समीक्षा की जायेगी। समीक्षा के दौरान इकाई का पूर्ववर्ती अवधि के दौरान निष्पादन पर तथा आई पी क्यू सी सुविधा को जारी रखने तथा वापस लेने के संबंध में ई आई ए द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिश पर विचार किया जायेगा।

यदि प्रसंस्करणकर्ता की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है तो प्रसंस्करणकर्ता फिर भी प्रेषित माल–वार निरिक्षण के तहत निर्यात के लिए योग्य होगा।

1.2.13 निरीक्षण शुल्क

निर्यातक द्वारा निर्यात निरीक्षण अभिकरण को निरीक्षण शुल्क के रूप में एफ ओ बी मूल्य के 0.2 प्रतिशत की दर से निरीक्षण शुल्क अदा करना होगा। संबद्ध निर्यात निरीक्षण अभिकरण के नाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र सहित निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप से देना होगा।

पिछले दो वर्षो के आंकडों के आधार पर औसत वार्षिक निर्यात का 0.1 प्रतिशत की दर से आकलित अग्रिम निरीक्षण शुल्क स्वीकृति के समय छः महीनों के लिए दिया जाएगा। शुल्क सभी निर्यातों के लिए लिया जाएगा न कि केवल

संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात के लिए। इस प्रयोजनार्थ यदि निर्यातक चाहे तो वह निर्यात निरीक्षण अभिकरण में जमा खाता खोल सकता है।

1.2.15 अपील

ऐसा कोई भी निर्यातक, जिसे निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इन्कार कर दिया गया हो, ऐसी अस्वीकृति मिलने के दस दिनों के भीतर अपील कर सकेगा जिसे अभिकरण विशेषज्ञों के ऐसे पैनल को सौंप सकता है जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक सात व्यक्ति शामिल होंगे। अपील प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी। ऐसी अपील में पैनल का निर्णय अन्तिम होगा।

निर्यात हेतु काली मिर्च के प्रसंस्करण तथा पैकिंग के लिए योग्य होने के संबंध में इकाई के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं

1 सामान्य स्वच्छता

1 1 काली मिर्च के प्रसंस्करण, भंडारण तथा पैकिंग के लिए प्रयुक्त समूचे परिसर को अच्छी स्वास्थयकर परिस्थितियों में रखा जाएगा। प्रसंस्करण परिसर में धूल जमाव, मकडी के जालों, आपत्तिजनक पदार्थ सफाई जैसे बीट, पत्थर आदि की अनुमति नहीं होगी। प्रतिदिन सफाई कराकर ऐसी गंदगी को दूर किया जाना चाहिए।

1 2 खुले गटरों को साफ किया जाएगा तथा सदैव स्वच्छ रखा जाएगा।

1 3 परिसर में शौचालयों को स्वच्छ रखा जाएगा और श्रमिकों के लिए पानी तथा साबुन से हाथ पैर धोने की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त की जाएगी।

1 4 उत्पाद के सम्पर्क में आने वाली सारी मशीनें, उपकरण, बर्तन आदि को स्वच्छ रखा जाएगा तथा धूल नहीं जमने दी जाएगी और कीट और अन्य कीटाणुओं को पनपने नहीं दिया जाएगा।

2.0 शुष्कन यार्ड

2 1 काली मिर्च को धूप में सुखाने के लिए प्रयुक्त खुला यार्ड सीमेंट से बना होना चाहिए तथा चाहे नायलॉन की नैट से या पर्याप्त रूप से यथोचित ढका होना चाहिए ताकि यार्ड में पक्षियों को आने से रोका जा सके।

2 2 शुष्कन यार्ड की खुली साइडों में पर्याप्त ऊंचाई तक सीमेंट से ईट की दीवार लगाई जाएगी तथा सभी खुली साइडों को तारों के जाल या ग्रिल द्वारा उपयुक्त रूप से ढका जाएगा।

3.0 प्रसंस्करण तथा भंडारण

3 1 बिना छानी काली मिर्च को ग्रेडिंग के प्रयोजनार्थ हाथ से छानने वाले खंड में यह सुनिश्चित कराने के लिए व्यवस्था की जाएगी कि ग्रेडिड काली मिर्च को अन्य चीजों से दूर रखा जाए।

3 2 छनी हुई काली मिर्च को भरने के लिए केवल नग्र बोरों का इस्तेमाल किया जाएगा और, ऐसे माल को बिना छनी हुई काली मिर्च तथा अन्य उत्पादों से दूर रखा जाएगा।

3.3 निर्यात हेतु तैयार नये बोरों में अन्तिम रूप से पैक माल को सतह पर निभर रखकर दीवारों से पर्याप्त दूर अंतरालों पर रखा जाएगा।

3.4 निर्यात हेतु अभिप्रेत अन्तिम उत्पाद में धूल न मिश्रित होने दी जाएगी तथा अच्छी प्रकार व्यवस्था और भंडारण किया जाएगा।

3.5 मशीनों के ऐसे निकास – स्थलों, जहां से हल्के कण, बाहरी पदार्थ और धूल आदि निकलती है, को अच्छी तरह ढक देना चाहिए ताकि ऐसी चीजों को हवा चलने या अन्यथा छनी हुई/साफ की हुई काली मिर्च में मिलने से रोका जा सके।

3.6 ऐसे पदार्थों, जैसे पिन के सिरों, जिन्हें बाद में प्रसंस्करण हेतु रखा जाता है, को अन्तिम प्रक्रिया वाले गोदाम से काफी दूर रखा जाना चाहिए।

4.0 पशुओं, चूहों, पक्षियों और कीटाणुओं का नियंत्रण

4.1 परिसर के बाहर के सभी खुले मार्गो जैसे गेट, नाली–निकासों आदि पर उपयुक्त ग्रिल/तार के जाल लगाए जाने चाहिए ताकि पशुओ और चूहों को न आने दिया जा सके।

4.2 सभी खिडकियों, रोशनदानों, राइट की छत और दीवार के बीच की खाली जगह तथा अन्य खुले मार्गो को उपयुक्त रूप से सुरक्षित किया जाएगा ताकि गोदामों में पक्षी प्रवेश न कर सकें।

4.3 यदि गोदाम में जाने के लिए ईट पत्थर की सीढियां बनाई गई है तो ऐसे गोदामों में लकडी के लम्बे तक्ते लगाए जाने चाहिए जो चूहों को आने से रोक सकें।

4.4 समय–समय पर छिडकाव या धूनी देकर कीटाणुरहित करने के लिए कीट नियंत्रण किया जाएगा।

4.5 अन्तिम प्रक्रिया हेतु पैकिंग के लिए प्रयुक्त नए बोरों को पहले कीटनाशक से परिशोधित किया जाएगा।

5.0 व्यक्तिगत स्वास्थय और स्वच्छता

5.1 प्रसंस्करण प्रक्रिया में कार्यरत कार्मिक किसी प्रकार के संक्रमण रोग से मुक्त होने चाहिए।

5.2 प्रसंस्करण कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी होगी तथा वे जिन उत्पादों की देखभाल करते हैं उनके संदूषण को रोकने हेतु सभी प्रकार एहतिहायत बरतनी चाहिए।

6.0 उपकरण तथा नाप तौल नियंत्रण

6.1 इकाई की अपनी प्रयोगशाला सुविधाएं होगी जिसमें निर्यात हेतु अभिप्रेत काली मिर्च का विश्लेषण तथा जांच करने के सभी आवश्यक उपकरण औररसायन होंगे।

6.2 काली मिर्च की जांच करने के लिए इकाई में सक्षम तथा योग्य प्रशिक्षित कार्मिक होंगे।

6.3 ईकाई निर्धारित बारंबारता के अनुसार कुछ उपकरणों की उनके पूर्ववृत्त कार्डो की उनकी यथार्थता तथा समुचित संशोधन हेतु जांच करेगी।

7.0 पैकिंग

पैकिंग माल के लिए विस्तृत निर्देश निर्धारित किए जाएंगे और छोटे पैक/मास्टर मॉर्टन/बोरे /पॉलिथिन इत्यादि पर परीक्षण किए जाएंगे।

8.0 रिकॉर्डो का अनुरक्षण

उपर्युक्त सभी पहलुओं से संबंधित आवश्यक रिकार्ड व्यवस्थित ढंग से रखे जाएगे ताकि प्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके और इसकी जब कभी कही आवश्यकता होगी उसे अभिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा।

9.0 परिवहन सुविधाएं

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तैयार उत्पादों का स्वास्थयकर परिस्थितियों में परिवहन किया जाए।

अनुलग्नक – I

सूचनार्थ सूचना

सं :,

दिनांक

निरीक्षण

को आवश्यक

से

प्रति

निर्यात निरीक्षण अभिकरण

प्रिय महोदय

कृपया परेषण निरीक्षण करें, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अंतर्गत जो ब्यौरे आवश्यक हैं, निम्नानुसार हैं।

*इस परेषण के निरीक्षण शुल्क हेतु हम द्वारा जारी रू का रेखाकिंत चेक/बैक ड्राफ्ट/ भारतीय भुगतान आदेश दिनांक सं को संलग्न कर रहे हैं।

*इस परेषण हेतु रू का निरीक्षण शुल्क कृपया हमारे जमा खाता, बचत पुस्तिका संख्या में नामे डाला जाए, जो संलग्न है।

1 निर्यातक का नाम और पता .

2 प्रसंसाधक का नाम और पता .

3 खरीदार की आदेश सं/निर्यात अनुबंद्ध सं .

4 परेषण का विवरण .

(क) वस्तु का नाम .

(ख) ब्रांड का नाम यदि हो तो .

(ग) मात्रा .

(घ) पैकेजों की संख्या .

(ड) ग्रेड/प्रकार आदि .

(च) पैक करने की तिथि .

(छ) मूल्य

(ज) जहाज में भेजने के चिह्न

5 उस स्थान का पता जहां समान निरीक्षण हेतु रखा गया हैं

6 निर्यात अनुबंध में अनुबंधित समय सीमा के अनुसार विशिष्टियों सहित तकनीकी आवश्यकताएं

7 जहाज में चढाने के ब्यौरे

(क) जहाज में चढाने की संभावित तिथि

(ख) जहाज का नाम

(ग) जहाज चलाने की तिथि

(घ) जहाज का बंदरगाह

8 सील के ब्यौरे, यदि कोई हैं।

9 अन्य कोई संगत सूचना

यह एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त उल्लिखित परेषण निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 क अंतर्गत लागू गुणवत्ता नियंत्रण/निरीक्षण से संबंधित शर्तों की संतुष्टि के लिए प्रसंसाधित किया गया है।

*यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त उल्लिखित परेषण का पूर्व में निरीक्षण नहीं किया गया है।

*यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त उल्लिखित परेषण दिनांक की सूचना संख्या द्वारा पूर्व में निरीक्षण हेतु प्रस्तावित किया गया था एवं पहले दर्शाए गये दोषों का भली भांति निराकरण कर दिया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त खण्ड सं 6 में उल्लिखित के अतिरिक्त विदेशी खरीदारों द्वारा कोई अतिरिक्त तकनीकी या गुणवत्ता आवश्यकताएं अनुबंधित नहीं की गई हैं।

हस्ताक्षर ------------

पद ---------------

निर्यातक की सील ------------

*जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुलग्नक – II

निर्यात निरीक्षण अभिकरण

ई आईए सं /

प्रति

मेसर्स ———————————

विषय: का जहाज पर भेजने के पूर्व निरीक्षण

संदर्भ: आपकी सूचना सं दिनांक

प्रिय महोदय,

निरीक्षण हेतु उपरोक्त उल्लिखित सूचना के संदर्भ में, आपको सूचित किया जाता है कि के परेषण का निरीक्षण, कर लिया गया है और इसे निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 के अंतर्गत विशिष्टियों के अनुरूप नही पाया गया था। अत: यह खेद सहित यह बताया जाता है कि निम्नालिखित कारण (णों) से निर्यात योग्यता प्रमाणपत्र जारी नही किया जा सकता है।

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

टिप्पणी: यदि कोई सील हो जो परेषण पर लगायी गई है तो कृपया तुरंत इस कार्यालय को लौटा दी जाए।

भवदीय

निर्यात निरीक्षण अभिकरण

प्रति प्रेषित:

संयुक्त निर्देशक

निर्यात निरीक्षण अभिकरण

		अनुलग्नक – III
क्र सं	निर्यात निरीक्षण अभिकरण	कार्यालयीन उपयोग के लिए
प्राप्ति की तिथि	काली मिर्च के विश्लेषण की रिपोर्ट	प्रसंससाधक/निर्यातक का नाम
पूरा होने की अवधि	अमेरिका/अन्य देश	

<table>
<tr><td colspan="6">नमूनों का भार</td><td colspan="7">प्रयोगशाला उपयोग के लिए</td></tr>
<tr><td colspan="13">बाहरी पदार्थ</td></tr>
<tr><td>नमूनों का कोड</td><td>ग्रेड</td><td>नमी % में (भार)</td><td>हल्की फली का % (भार)</td><td>पिन हैड का % (भार)</td><td>कुल भस्म संघटक % (भार)</td><td>अम्ल में अविलेय भस्म % (भार)</td><td>अपरिष्कृत तंतु % (भार)</td><td>बाहरी पदार्थ % (भार)</td><td>कीट विष्ठा और फफूंद % (भार)</td><td>स्तनपायी की</td><td>देखी गई अन्य गंदगी, संदूषण</td><td>टिप्पणी</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="13"></td></tr>
<tr><td colspan="13">स्थान: हस्ताक्षर:
हस्ताक्षर:</td></tr>
<tr><td colspan="13">तिथि: नाम और पद:
नाम और पद:
तिथि:</td></tr>
</table>

अनुलग्नक – IV

की ओर से

प्रति

अतिरिक्त निदेशक,

निर्यात निरीक्षण अभिकरण

महोदय,

कृपया निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 के अंतर्गत प्रसंसाधन गुणवत्ता नियंत्रण हेतु हमारी प्रसंसाधन इकाई की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें। हम काली मिर्च के प्रसंसाधन के लिए हमारी इकाई में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

1 सामान्य सूचना

1 1 प्रसंसाधन इकाई का नाम और पता

1 2 मालिक का नाम और पता

1 3 क्या गोदाम किराये पर है या लीज पर ?

1 4 वार्षिक उत्पादन और निर्यात (मात्रा और मूल्य)

कृपया यहां प्रसंसाधित/निर्यात किए गए उप्तादों के साथ पिछले तीन सालों के आंकडे दर्शाएं।

1 5 औसत दैनिक उत्पाद और प्रतिदिन कार्य की पारियां

1 6 कर्मचारियों की संख्या

1 7 उपलब्ध सुविधाओं की संख्या

1 8 निरीक्षकों कर संख्या

1 9 प्रौद्योगिकीविदों के नाम, योग्यताएं और अनुभव

2 आस पास का परिवेश

2 1 क्या आस पास का परिवेश स्वच्छता संबंधी समस्या प्रस्तुत करता है

3 निर्माण और ले–आउट (कृपया स्थल योजना और भवन के साथ विभिन्न खण्डों का ब्लू प्रिंट संलग्न करें)

3 1 क्या विभिन्न खण्डों का ले–आउट कार्य के सुचारू प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है।

3.2 क्या इकाई किसी स्थाई प्रकृति के भवन में स्थित है जिसमें सामान्य मौसमी खतरों से पर्याप्त सुरक्षा मिलती है।

3 3 क्या प्रसंसाधन खण्ड, सुविधाएं और भण्डारण सम्पूर्ण स्थापना के ले–आउट के साथ एकीकृत है।

4 प्रसंसाधन क्षेत्र

41 क्या प्रसंसाधन क्षेत्र, कच्ची सामग्री प्राप्त करने के खण्ड से पर्याप्त रूप से अलग बना है?

4.2 क्या यहां अखाद्य सामग्री के लिए कोई सुविधा है?

43 प्रसंसाधन खण्ड का कुल क्षेत्रफल क्या है?

5 छत, दीवार और फर्श

51 छत का प्रकार, क्या छत पर्याप्त है, अच्छी मरम्मत में है?

52 क्या छत में कोई दरारें या खुले जोड है?

53 क्या फर्श में कोई दरार या कटाव हैं?

6 चिडियों से बचाव और कीडों तथा जीव नियंत्रण के ब्यौरे दें

7 प्रकाश और संवातन

71 क्या कार्य क्षेत्रों में अच्छी रोशनी है?

72 क्या रोशनी के बल्ब और फिक्स्चर सुरक्षित प्रकार के है या दूसरी तरह से सुरक्षित किये गये है?

73 क्या क्षेत्र अच्छी तरह से हवादार है?

8 मशीनरी

81 मशीनों की संख्या, बनावट और क्षमता

8.2 क्या इसकी क्षमता मौसम की अधिकतम क्षमता को संभालने के लिए पर्याप्त है?

83 क्या मशीनें साफ और बिना धुल वाली है और इनमें कीडों तथा अन्य पीडकों का जमाव नहीं है?

9 प्रसंसाधन और भंडारण

91 क्या स्थान आपका अपना है या किराये पर है?

92 भंडारण की क्या क्षमता है और क्या यह पर्याप्त है?

93 क्या भंडारण स्थल पर रोशनी पर्याप्त है?

94 क्या यह सफाई से रखा गया है और मरम्मत अच्छी है?

95 क्या भंडारण स्थल को साफ रखा गया है?

96 क्या पैकिंग सामग्री, डिटरजेंट और विसंक्रामकों तथा चूहामार और पीडकनाशकों जैसे विषैले पदार्थों के लिए अलग अलग सुविधाएं हैं?

10 स्वच्छता सुविधाएं और नियंत्रण

101 अपनायी जाने वाली सफाई तालिका का ब्यौरा दें।

10.2 क्या प्रत्येक प्रवेश द्वारा के पास हाथ धोने की पर्याप्त सुविधा प्रदान की गई है?

103 क्या खुली नालियों के रास्ते चूहों के प्रवेश से पर्याप्त रूप से सुरक्षित बनाये गये है?

10.4 नाली का पानी हटाने की क्या व्यवस्था है?

10.5 क्या फैक्टरी के अंदर नाली प्रणली उचित रूप से ढकी हुई है?

10.6 क्या परिसर में गंदा पानी, बारिश का पानी तथा अपशिष्ट जल स्वच्छता की समस्या तो नहीं पैदा करता है?

11 प्रसाधन सुविधाएं

11.1 उपलब्ध प्रसाधनों की संख्या

11.2 क्या प्रसाधन सैनिटरी प्रकार का है?

11.3 क्या सभी प्रसाधन प्रसंसाधन क्षेत्र से पूरी तरह से अलग हैं?

11.4 क्या सभी प्रसाधनों में अपने आप बंद होन वाले दरवाजे और साफ पानी, वॉश वेसिन तथा साबुन है?

12 व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता

12.1 प्रसंसाधन कार्य में लगे लोगों का व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन द्वारा क्या सावधानी के क्या उपाय किए हैं।

12.2 क्या कार्मिकों को साफ एप्रन और सिर की टोपियां दी गई हैं?

13 परिवहन सुविधाएं

13.1 कच्ची सामग्री के परिवहन के लिए उपलब्ध वाहनों की संख्या, प्रकार और क्षमता

13.2 तैयार उत्पादों के परिवहन के लिए उपलब्ध वाहनो की संख्या, प्रकार और क्षमता

13.3 क्या क्षमता पर्याप्त है?

13.4 क्या ये सुविधाएं आपकी अपनी है या किराये की है?

हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि उपरोक्त प्रस्तुत ब्यौरे हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हैं।

भवदीय

हस्ताक्षर:

नाम:

पद:

सील:

स्थान:

तिथि:

अनुलग्नक – V

की ओर

प्रति,

निर्यात निरीक्षण अभिकरण कोचीन / कोलकाता / मुंबई / चैन्नई

प्रिय महोदय,

कृपया परेषण के लिए निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित निर्यात योग्यता का प्रमाण पत्र जारी करें, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। आई पी क्यू सी के अंतर्गत प्रसंसाधित और पैंक किया गया।

इस परेषण के निरीक्षण शुल्क हेतु हम द्वारा जारी रू का रेखांकित चेक / बैक ड्राफ्ट / भारतीय भुगतान आदेश दिनांक सं को संलग्न कर रहे हैं।

*इस परेषण हेतु रू का निरीक्षण शुल्क कृपया हमारे जमा खाता, बचत पुस्तिका संख्या में नामे डाला जाए, जो संलग्न है।

1 निर्यातक का नाम और पता

2 प्रसंसाधक का नाम और पता

3 खरीदार की आदेश सं / निर्यात अनुबंद्ध सं

4 परेषण का विवरण

(क) वस्तु का नाम

(ख) ब्रांड का नामए यदि हो तो

(ग) मात्रा

(घ) पैकेजों की संख्या

(ङ) ग्रेड / प्रकार आदि

(च) पैक करने की तिथि

(छ) मूल्य

(ज) जहाज में भेजने के चिह्न

5 उस स्थान का पता जहां समान निरीक्षण हेतु रखा गया हैं।

6 निर्यात अनुबंध में अनुबंधित समय सीमा के अनुसार विशिष्टियों सहित तकनीकी आवश्यकताएं

7 जहाज में चढाने के ब्यौरे

(क) जहाज में चढाने की संभावित तिथि

(ख) जहाज का नाम

(ग) जहाज चलाने की तिथि

(घ) जहाज का बंदरगाह

8 सील के ब्यौरे, यदि कोई हैं।

9- अन्य कोई संगत सूचना

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परेषण ऊपर दी गई योजना के अंतर्गत अनुमोदित समूह में से है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त खण्ड 6 में उल्लिखित अतिरिक्त तकनीकी या गुणवत्ता आवश्यकताओं के अतिरिक्त विदेशी खरीदारों द्वारा कोई आवश्यकता अनुबंधित नहीं की गई है।

अनुलग्नक – VI

पैकेजिंग रजिस्टर

प्रसंसाधक / निर्यातक का नाम :

उत्पाद का प्रकार और पैक का प्रकार :

पद :

लॉट की पहचान संख्या	पैकिंग की तिथि	तालिका संख्या से तक	पैकेजों की संख्या	परीक्षणों के परिणाम	टिप्पणी निर्यात योग्य / निर्यात योग्य नहीं

स्थान:

प्रौद्योगिकीविद के हस्ताक्षर:

तिथि:

हस्ताक्षर:

पद:

निर्यातक की सील:

स्थान:

तिथि:

*जो लागू नहीं है उसे काट दें।